

**पुलिस**

**अधीक्षक**

**जनपद**

**आजमगढ़**



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- [spazh-up@nic.in](mailto:spazh-up@nic.in)



पत्र संख्या- 345/2024

## **प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़**

दिनांक- 08.11.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 08.11.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

**\*01.थाना दीदारगंज:- फर्जी व कूटरचित दस्तावेज के आधार पर पासपोर्ट बनवाने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार\***

**\*पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण:-\***

दिनांक 18/10/2024 को उ0नि0 करमुल्ला अली थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि पासपोर्ट धारक हरेन्द्र कुमार पुत्र फिरन्ती ग्राम-राजापुर हाउस नं0 340 पोस्ट हुब्बीगंज थाना दीदारगंज आजमगढ़ द्वारा अपना नाम व जन्मतिथि परिवर्तित कर फर्जी व कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर दो पासपोर्ट बनवा लिया गया। जिसके सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 266/24 धारा 319(2) ,318(4) / 338, 336(3)/ 340(2) B.N.S. व पासपोर्ट अधि0 की धारा 12(1ख) बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

**\*गिरफ्तारी का विवरण:-\***

आज दिनांक 08.11.2024 को उ0नि0 नागेन्द्र पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त हरेन्द्र कुमार पुत्र फिरन्ती ग्राम राजापुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ को प्राप्त सूचना के आधार पर उसके घर ग्राम राजापुर से 02 अदद पासपोर्ट के साथ समय करीब 9.10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

